... ता/ ... 7·8·24 का

7·8·24 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित
प्रकरण मे पूर्व मे बहस सुनी जा चुकी है। वाद
वादी का स्वीकार किया जाता है। विस्तृत आदेश
पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश

दावा संख्या 66/204

1. जमनालाल पिता नाराण जी कुम्हार निवासी बेगूँ तहसील बेगूँ मृतक के बजाय विधिक वारिसान :–
   1/1– कैलाशचन्द्र पिता स्व. जमनालाल जी कुम्हार निवासी बेगूँ तहसील बेगूँ
   1/2– नन्दकिशोर पिता स्व. जमनालाल जी कुम्हार निवासी बेगूँ तहसील बेगूँ
   1/3– राजू पिता स्व. जमनालाल जी कुम्हार मृतक के बजाय विधिक वारिसान
   1/3/1– श्रीमति बृजबाला पत्नि राजू जी कुम्हार निवासी बेगूँ तहसील बेगूँ
   1/4– श्रीमति बसन्तीबाई पत्नि पिता स्व. जमनालाल जी कुम्हार निवासी बेगूँ तहसील बेगूँ
2. रामचन्द्र पिता नाराण जी कुम्हार निवासी बेगूँ तहसील बेगूँ

वादीगण

बनाम

1. सुशीला देवी पिता बंशीलाल जी लाउ (ब्राम्हण) पति मणिशंकर जी ब्राम्हण निवासी भीलवाडा गुलमण्डी होस्पीटल के पास गुर्जर मोहल्ला भीलवाडा
2. सुमीत्रादेवी पिता बंशीलाल जी लाड (ब्राम्हण) पति शंभुलाल जी शर्मा निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
3. विजयकुमार पिता श्यामलाल जी लाड ब्रामहण निवासी बेगूँ तहसील बेगूँ
4. लीलादेवी पिता श्यामलाल जी लाड पति कन्हैयॉलाल जी ब्राम्हण निवासी बरजर तहसील पोबट जिला झाबुआ म0प्र0 मृतक के बजाय विधिक वारिसान :–
   4/1– राजकुमार माता स्व. लीलादेवी पिता कन्हैयालाल जी शर्मा निवासी बरजर तहसील पोबट जिला झाबुआ (म.प्र.)
   4/2– रेखादेवी माता स्व. लीलादेवी पिता कन्हैयॉलाल जी शर्मा हालमुकाम पति सुरेश जी शर्मा निवासी बनेडा तहसील व जिला भीलवाडा
   4/3– योगेश माता स्व. लीला देवी पिता कन्हैयॉलाल जी शर्मा निवासी बरजर तहसील पोबट जिला झाबुआ (म.प्र.)
   4/4– संजय कुमार माता स्व. लीला देवी पिता कन्हैयूलाल जी शर्मा निवासी बरजर तहसील पोबट जिला झाबुआ (म.प्र.)
5. श्रीमती धापूबाई पिता श्यामलाल जी लाड पति उमाशंकर जी निवासी बेगूँ हथाई मोहल्ला बेगूँ तहसील बेगूँ
6. श्रीमति दीपकुमारी पिता श्यामलाल जी लाड ब्राम्हण अध्यापिका पति लादूलाल काटिया निवासी बेगूँ तहसील बेगूँ
7. श्रीमति मनोजकुमारी पिता श्यामलाल जी लाड पति बनवारीलाल ब्राम्हण हायरसेकण्डरी स्कूल के सामने वाली गली नई आबादी मण्डलगढ जिला भीलवाडा
8. कमलादेवी पत्नि गोपाल लाल लाड अध्यापिका निवासी बेगूँ तहसील बेगूँ
9. दीपक कुमार पिता गोपाल लाल लाड निवासी बेगूँ तहसील बेगूँ
10. गोतम उर्फ गोविन्द पिता गोपाललाल जी लाड निवासी बेगूँ
11. प्रितीबाला पिता गोपाल जी लाड पति सूर्यप्रकाश जी ब्राम्हण निवासी लोडामूह तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
12. नवीनबाला पिता गोपाल लाल जी लाड पति विष्णुकुमार जी चतुर्वेदी निवासी धनोरा तहसील बेगूँ
13. श्रीमान तहसीलदार साहब बेगूँ जरिये लैण्ड होल्डर बेगूँ

प्रतिवादीगण

उपस्थित ::– श्री सत्यनारायण माली
अधिवक्ता वादीगण
श्री सुरेश चन्द्र टेलर
अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक ::– 07.08.2024

निर्णय वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण का वादपत्र इस प्राकर से है कि वादीगण ने मौजा बेगूँ एवं लक्ष्मीगंज की जमीन श्री बंशीलाल ,श्यामलाल पिता काशीराम जी लाड ब्राम्हण निवसी बेगूँ से मौजा बेगूँ के आराजी नं0 1159/1 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा एवं लक्ष्मीगंज के आराजी नं0 17/9 रकबा 01बीघा 05 बिस्वा दिनांक 01.12.1973 को 2500/–रूपये में खरीद की वक्त से आज तक भूमि जैरबहस पर कब्जा हम वादीगण का होरक काश्त कर रहे है। यह कि बंशीलाल जी व श्यामलाल जी लाड जी फोत हो चुके है एवं उनके वारिसान निम्न है जिनका सजरा निम्न प्रकार है :–

vx

बंशीलाल फोत

सुशीलाल देवी पुत्री | सुमीत्रादेवी पुत्री | सरस्वती देवी पत्नि

श्यामलाल फोत

काशीबाई

गोपाललाल पुत्रफोत | विजयकुमार पुत्र | लीलादेवी पुत्री | धापूदेवी पुत्री | दीपककुमारी पुत्री | मनोजकुमारी पुत्री | पत्नि

गोपाललाल पुत्र

दीपक पुत्र | गौतम उर्फ गोविन्द पुत्र | प्रितीबालाल पुत्री | नवीनबाला पुत्री | कमलादेवी पत्नि

यह कि बंशीलाल जी लाड फोत हो चुके है जिनकी पत्नि सरस्वतीदेवी एवं पुत्रीया सुशीलादेवी एवं सुमित्रादेवी है जो प्रतिवादी नं0 1,2,3 है एवं श्यामलाल जी लाड भी फोत हो चुके है जिनके पुत्र गोपाललाल एवं विजयकुमार है। गोपाल लाल भी फोत हो चुका है जिनके वारिस प्रतिवादी नं0 10, 11, 12, 13, 14 है एव पत्रु विजयकुमार जो प्रतिवादी नं0 4 है तथा श्यामलाल जी पत्नि काशीबाई है जो प्रतिवादी नं0 9 है एवं श्यामलाल जी के चार पुत्रीया है जो प्रतिवादी नं0 5, 6, 7, 9 है।

यह कि मौजा बेगूँ के गत भू प्रबन्ध के आराजी नं0 1159/1 है जिसके नवीन आराजी नं0 1514 रकबा 0.227 हैक्टर एवं लक्ष्मीगंज के गत भूप्रबन्ध के आराजी नं0 17/1 है जिसके हाल बन्दोबस्त के आराजी नं0 37 रकबा 0.15 हैटर परन्तु वक्त रजिस्ट्री आराजी नं0 17/1 के बजाय 17/9 सेवन से लिख दिया जबकि आराजी नं0 17/9 गत प्रब्रन्ध में 17/9 कोई नम्बर नहीं थे हिन्दी 17/1 को सत्ररह बटा एक को एक बजाय नो लिख दिया, जबकि 17/1 ही है।

यह कि हम वादीगण ने जमीन बेगूँ एवं लक्ष्मीगंज की खरीदने के बाद मौजा बेगूँ की जमीन हम वादीगण के नाम पर खाते दर्ज हो गई परन्तु हम वादीगण की जाति में कुम्हार की जगह कुमावत कर दिया गया जिससे जाति में हम वादीगण के साथ कुम्हार दर्ज किया जाने का आदेश फरमाया जावे एवं कुमावत हटाया जाने का आदेश फरमाया जावें।

यह कि मौजा लक्ष्मीगंज की जमीन हमारे खाते होने से रह गई इसलिये गत भू–प्रबन्ध के आराजी नं0 17/9 जिसके हाल आराजी नं0 37 रकबा 0.45 हैक्टर होकर कब्जे काश्त में है तथा मूंगफली बो रखी है एवं आराजी नं0 17/9 बटा नम्बर लिख दिया और होना 17/1 चाहिए जिसका 17/9 सहवन से लिख दिया और होना 17/1 चाहिए थे इसलिए मौजा लक्ष्मीगंज की जमीन आराजी नं0 37 रकबा 0.45 हैटर खाते होने से रहगई जिससे खाते दर्ज किये जाने हेतु प्रतिवादीगण को कहा दिनांक 15.7.2004 को तो प्रतिवादीगण ने कहा कि हमारे पिता एवं दादा बा ने जमीन बेच दी है तथा कोर्ट से अपने नाम करा लो सो इनद्राज दुरुस्ती हेतु वाद पत्र प्रस्तुत है। हमारे खाते है उसमें जाति कुमावत के बजाय कुम्हार दर्ज करने का एवं मौजा लक्ष्मीगबंज के आराजी नं0 17/9 के बजाय 17/1 के नवीन आराजी नं. 37 को हम वादीगण के खाते में दर्ज की घोषणा फरमाई जावें एवं बंशीलाल एवं श्यामलाल का खाते से नाम हटाया जाकर हम वादीगण के नाम खाते दर्ज करने की घोषणा फरमाई जावें।

हम वादीगण अपना खाता अलग अलग कराने के लिए पटवार मण्डल के पास दिंनका 15.07.2004 को गये तो पता चला कि मौजा बेगूँ के आराजी नं0 1159/1 रकबा 1514 है जो खाते दर्ज हो गई परन्तु जाति में गलत लिखी है एवं मौजा लक्ष्मीगंज की जमीन हम वादीगण के खाते दर्ज होने मे रहगई एवं अभी विक्रेता बंशीलाल श्यामलाल के नाम दर्ज है जिससे बिना दावा दिनंका 15.07.2004 से चालू होकर हर रोज पैदा हो रही है तथा वाद वर्णित भूमि को वादीगण के नाम दर्ज कराने हेतु यह वाद पेश है।

वाद समायत न्यायालय आप होने से एवं राजस्व भूमि के घोषणात्मक वाद होने से समायत न्यायालय आप है। भूमिधारी तहसीलदार बेगूँ होने से प्रतवादीगण नं0 15 आवश्यक पक्षकार बनाये गये है।

यह कि श्रीमान से निवेदन है कि पक्ष वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार की डिक्री फरमाई जावे :–

(क) कि मौजा बेगूँ के आराजी नं0 1514 जो हम वादीगण के खाते दर्ज है उसमें हम वादीगण की जाति कुम्हार के बजाय कुमावत कर दी जिसे दुरस्त फरमाया जाकर कुम्हार दर्ज करने का आदेश फरमाया जावें।

(ख) कि मौजा लक्ष्मीगबंज के नवीन आ0नं0 37 जो अभी विक्रेता बंशीलाल –श्यामलाल लाड के नाम दर्ज है उसे उनके खाते में कमी की जाकर हम वादीगण के नाम दर्ज करने की घोषणात्मक डिक्री फरमाई जावें एवं प्रतिवादीगण के नाम से खाता नहीं खोले।

(ग) कि अन्य कोई अनुतोष जो वादीगण न्यायालय आपसे प्राप्त करने के अधिकारी हो प्रदान किया जावे।

(घ) कि वाद व्यय एवं वकील मेहनताना बहक वादीगण दिलाया जावें।

वादीगण का वादपत्र न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रकरण में प्रतिवादीगण सं० 1 व 3 की ओर से जवाब हेतु अवसर चाहा जबकि प्रतिवादीगण संख्या 6, 7, 10 से 12 की ओर से अधिवक्ता श्री एस०सी०टेलर ने अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत किया। प्रकरण मे प्रतिवादी संख्या 4, 8, 9, 15 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आये ,उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश न्यायालय द्वारा दिये गये। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 14 की ओर से अण्डरटैकिंग अधिवक्ता श्री विष्णु चतुर्वेदी ने ली तथा प्रतिवादी सं० 5 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये। प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 6, 7, 10, 11 एवं 12 की ओर से जवाब वादपत्र निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया गया कि वादपत्र की कलम संख्या एक गलत होने से अस्वीकार है। वादी ने मौजा बेगूं की आराजी संख्या 1159/1 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा भूमि क्रय करना श्री बंशीलाल श्यामलाल पिता काशीराम लाड निवासी बेगूं बताया जिसकी जानकारी हम प्रतिवादीगण संख्या 6, 7, 10, 11 व 12 को नहीं है एवं मौजा लक्ष्मीगंज की आराजी संख्या 17/9 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा श्री बंशीलाल श्यामलाल लाड निवासी बेगूं से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा क्रय करना बताया है जो गलत होकर अस्वीकार है, क्यो कि श्री श्यामलाल लाड निवासी बेगूं से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा क्रय करना बताया है जो गलत होकर अस्वीकार है क्यो कि श्री श्यामलाल व बंशीलाल लाड की आराजी मौजा लक्ष्मीगंज में स्थित भूमि आराजी संख्या 37 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा मे से 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि वादी द्वारा क्रय करना बताया जबकि आराजी संख्या 37 के गत आराजी संख्या 17/1मी० तथा वादी द्वारा आराजी संख्या 17/9 क्रय की जो कि विक्रयकर्ता श्री श्यामलाल बंशीलाल लाड की भूमि नहीं थी। परिवार का सजरा होकर स्वीकर है।

यह कि वाद पत्र की कलम संख्या 4 गलत होने से अस्वीकार है। मौजा बेगूं गत भू-प्रबंध आराजी संख्या 1159/1 जिसके नवीन आराज ासंख्या 1514 रकबा 0.227 हैक्टर होना बताया है जिसको वादी रेकार्ड अनुसार साबित करें। एवं लक्ष्मीगंज की गत भूप्रबंध की आराजी संख्या 17/1 है जिसके नवीन आराजी नं० 37 रकबा 0.45 हैक्टर होना सही जबकि वादी द्वारा वक्त रजिस्ट्री आराजी संख्या 17/1 के बजाय 17/9 सहवन से लिख देने वाली बात गलत होकर अस्वीकार है।

यह कि वाद पत्र की कलम संख्या 5 गलत होने से अस्वीकार है। वादी द्वारा मौजा बेगूं की आराजी जो कि श्री बंशीलाल , श्यामलाल लाड से क्रय होकर वादी के खाते आराजी संख्या 1514 रकबा 0.227 हैटर में अंकित वादी के जाति में कुम्हार की जगह कुमावत दर्ज किया गया है जबकि वादी को पहले अपने खाते अपने नाम की शुद्धि करानी चाहिए तदोपरान्त ही यह वाद पत्र पेश करना चाहिए यहॉ यह स्पष्ट नहीं होता है कि वाद पत्र जमनालाल रामचन्द्र कुम्हार ने पेश किया था व जाति से कुमावत है। रेकार्ड अनुसार वादी जाति से कुम्हार न होकर कुमावत तथा 'क्लीन हैण्ड" से वाद पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने से वाद पत्र खारिज होने योग्य है।

यह कि वाद पत्र की कलम संख्या 6 गलत होने से अस्वीकार है। मौजा लक्ष्मीगंज के वर्तमान आराजी संख्या 37 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा भूमि हम प्रतिवादी संख्या 6, 7 के पिता प्रतिवादी सं० 10 के ससुर व प्रतिवादी संख्या 11,12 के दादा जी के खाते होकर आराजी पर कब्जा हमारा ही चला आ रहा है वादी द्वारा क्रयशुदा भूमि कही अन्य जगह केय कर मुंगफली बोना बता कर हमारी जमीन को हडपना चाहते है। वादी द्वारा हम प्रविताादी संख्या 6,7,10, 11, 12 से जमीन उनके खाते कराने की बात व शुद्धी कराने की बात लिखा जाना व कहे जाना अस्वीकार है। वादी द्वारा हमारे को कभी जमीन क्रय करने सबंधी व उनके खाते कराने वाली बात नहीं की है, चूंकि हम प्रविादी सख्या 6,7, के पिता प्रति० 10 के ससुर प्रतिवादी संख्या 11, 12 के दादा जी द्वारा उनके खाते की आ०नं० 37 का बेचान कभी भी वादी को नहीं किया गया जिससे आराजी संख्या 37 की घोषणा वादी अपने नाम पर कराने के अधिकारी नहीं है, इसलिए वाद पत्र खारिज होने योग्य है।

यह कि वाद पत्र की कलम संख्या 8 गलत एवं अस्पष्ट होने से अस्वीकार है। वादी द्वारा मौजा बेगूं की आराजी संख्या 1159/1 का रकबा 1114 है का अंकन किया हुआ है जो स्पष्ट नहीं है क्यो कि आराजी संख्या 1159/1 के नवीन नं० 1514 वाद की कलम संख्या 4 होना वादी बतात है जो रेकार्ड से स्पष्ट किया जा सकता है तथा आराजी संख्या 1159/1 का रकबा 1514 बताया जो गलत होकर अस्वीकार है तथा वादी मौजा लर्क्ष्मीगंज की आराजी अपने खाते में घोषित कराने के अधिकारी नहीं है। दिनांक 15.07.2004 को कोई वाद कारण पैदा नहीं हुआ है वाद खारिज होने योग्य है।

प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावा के विशेष कथन में अंकित किया है :-

1- यह कि श्री बंशीलाल, श्यामलाल लाड निवासी बेगूं द्वारा आराजी नं० 17/9 मौजा लक्ष्मीगंज का बेचान किया गया न कि आराजी संख्या 17/1 का जिससे वादी मौजा लक्ष्मीगंज की आराजी संख्या 37 को अपने पक्ष में घोषित कराने का अधिकारी नहीं है। इसलिए वाद वादी खारिज होने योग्य है।

2- यह कि वादी मौजा बेगूं की आराजी संख्या 1514 रकबा 0.227 हैटर मे उनके नाम के आगे कुमावत जाति की शुद्धि करा कुम्हार कराना चाहते है जिसकी आड में मौजा लक्ष्मीगंज की आराजी भी घोषित कराना चाहते है जो नियमों के विपरीत होने से वादपत्र खारिज होन योग्य है क्यो कि वादी प्रथम दृष्टया अपना नाम व जाति सही अंकन करा कर ही कोई वाद प्रस्तुत कर सकते है।

3- यह कि वादी द्वारा मौजा लक्ष्मीगंज की आराजी श्री बंशीलाल श्यामलाल पिता काशीराम जी जाति ब्राम्हण निवासी बेगूं से क्रय कराना बताया है। इसकी जानकारी हम प्रतिवादी संख्या 6, 7, 10, 11 एवं 12 को नहीं है वर्तमान मे भूमि मौजा लक्ष्मीगंज की आराजी

W/-

नं0 37 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा हमारे कब्जे काश्त होरक भूमि हमारे उपयोग उपभोग में हमारे पूर्वजो के समय से ही चली आ रही है। क्रय सुदा आराजी संख्या 17/1 रकबा 1बीघा 5 बिस्वा कोई अन्य आराजी है जिसकी आड में वादी हमारी गत आराजी संख्या 17/1 जिसका रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा है को बता कर हडपना चाहते है जिसका की वादी को कोई अधिकार नहीं है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वादीगण का वाद पत्र खारिज फरमाया जावें।

प्रकरण मे प्रतिवादी संख्या 13 व 14 की ओर से जवाब दावा प्रतिवादीगण संख्या 6, 7, 10, 11 एवं 12 के अनुसार ही प्रस्तुत किया जाकर जवाब के विशेष कथन में अंकित किया है कि श्री बंशीलाल श्यामलाल लाड निवासी बेगूं द्वारा आरी नं0 17/9 मौजा लक्ष्मीगंज का बेचान किया गया न कि आराजी संख्या 17/1 का जिससे वादी मौजा लक्ष्मीगंज की आराजी संख्या 37 को अपने पक्ष में घोषत करा पाने के अधिकारी नही है। वाद खारिज होने योग्य है।

यह कि वादी मौजा बेगूं की आराजी संख्या 1514 रकबा 0.227 है0 में उनके नाम के आग कुमावत जाति की शुद्धि करा कुम्हार कराना चाहते है। जिसकी आड में मौजा लक्ष्मीगंज की आराजी भी घोषित कराना चाहते है जो नियमों के विपरीत होने से वादपत्र खारिज होने योग्य है क्यों कि वादी प्रथम दृष्टया अपना नाम व जाति सही अंकन करा कर ही कोई वाद प्रस्तुत कर सकते है।

यह कि वादी द्वारा मौजा लक्ष्मीगंज की आराजी श्री बंशीलाल श्यामलाल पिता काशीराम जी जाति ब्राम्हण निवासी बेगूं से क्रय कराना बताया है। इसकी जानकारी हम प्रतिवादी संख्या 13, 14 को नहीं है। वर्तमान में भूमि मौजा लक्ष्मीगंज की आराजी संख्या 37 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा हमारे कब्जे काश्त होकर भूमि हमारे उपयोग उपभोग से हमारे पूर्वजो के समय से ही चली आ रही है। क्रय सुदा आराजी संख्या 17/9 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा कोई अन्य आराजी है जिसकी आड मे वादी हमारी गत आराजी संख्या 17/1 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा को बता कर हडपना चाहते है जिसका की वादी को कोई अधिकार नहीं है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वादीगण का वादपत्र खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली में जवाबदावा प्रतिवादी संख्या 6, 7, 10, 11 एवं 12, 13 व 14 का प्रस्तुत होने व अन्य प्रतिवादीगण का जवाव प्रस्तुत न होने पर निम्न लिखित तनकी पत्र पत्रावली में पृथक से कायम कर शामिल पत्रावली किया गया :–

1– आया मौजा बेूं के आ0नं0 1514 जो वादीगण के नाम पर खाते में दर्ज है उसमें वादीगण की जाति कुम्हार के वजाय कुमावत दर्ज करदी गई है, जिसे सही करा जाति कुम्हार दर्ज कराने के वादी अधिकारी है?

वादीगण

2– आया वादीगण को मौजा लक्ष्मीगंज की गत भू–प्रबंधन्ध की आ0नं0 17/1 के नवीन आराजी नं0 37 होकर वादीगण के कब्जे काश्त में है परन्तु विक्रेता बंशीलाल श्यामलाल लाड ने सहवन से 17/1 के बजाय 17/9 की रजिस्ट्री करादी जिसे सही कराने व भूमि अभी विक्रेता बंशीलाल श्यामलाल लाड के नाम पर दर्ज है उसे उनके खातेक से कम करा वादीगण अपने नाम पर घोषित करा पाने के अधिकारी है?

वादीगण?

3– आया कि श्री बंशीलाल श्यामलाल द्वारा आ0नं0 17/9 मौजा लक्ष्मीगंज का बेचान किया गया न कि आराजी संख्या 17/1 का जिससे वादी मौजा लक्ष्मीगंज की आराजी संख्या 37 को अपने पक्ष में घोषित कराने का अधिकारी नहीं है, इसलिए वादीगण का वाद खारिज होने योग्य हैक?

प्रतिवादीगण

4– आया कि मौजा बेगूं की आराजी संख्या 1514 रकबा 0.227 है0 में उनके नाम के आगे कुमावत जारी की शुद्धी कराने के पश्चात ही वादीगण अपना दावा प्रस्तुत कर सकते है, इसकी आड में मौजा लक्ष्मीगंज की आराजी को घोषित कराना चाहते है जो नियमो के विपरीत होने से वाद पत्र खारिज होने योग्य है ?

प्रतिवादीगण

5– आया कि मौजा लक्ष्मीगंज की आराजी संख्या 37 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा भूमि पर हम प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त होने व क्रय सुदा आराजी 17/9 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा कोई अन्य आराजी होकर जिसकी आड में वादी हमारी गत आराजी संख्या 17/1 जिसका रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा है को हडपना चाहते है जिसका की वादीगण को कोई अधिकार नहीं है?

प्रतिवादीगण

6– दादरसी ?

पत्रावली में तनकी पत्र कायम किये जाने के उपरान्त वादीगण की आरे से साक्ष्य वादीगण में शपथ पत्र वादी जमनालाल पिता नारायण जी कुम्हार, गवाह कैलाशचन्द्र पिता देवीलाल जी लुहार निवासी बेगूं, गवाह बंशीलाल पिता मांगीलाल जी तेली निवासी बेगूं के साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किये, वादी जमनालाल पिता नारायण कुम्हार से अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 19.06.2006 को मुख्यपरीक्षण वादी से किया जाकर उनके बयानों को कलमबद्ध कराये गये तथा वादी द्वारा वक्त जिरह अपने दस्तावेज को प्रदर्श करा बयान पूर्ण किये। साथ ही गवाह बंशीलल पिता मांगीलाल व कैलाश पिता देवीलाल लुहार से भी उनके साक्ष्य शपथ पत्र पर मुख्यपरीक्षण अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा की जाकर उनके बयान कलमबद्ध करा पूर्ण कराये गये। पत्रावली मे साक्ष्य वादीगण व गवाह की होने के पश्चात पत्रावली में देवीलाल पिता भगवानलाल पंचोली ब्राम्हण दस्तावेज अर्जीनवीस (दस्तावेज लिखने वाला) के बयान

कलमबद्ध कराये गये, जिन्होने विकय पत्र पंजीकृत को लिखने का कथन अपने बयानो में अंकित किया है। प्रकरण में वादीगण के बयान पूर्ण होने के पश्चात प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य हेतु शपथ पत्र दीपक कुमार पिता स्व0 गोपाल जी लाड , गवाह लादूलाल पिता देवीलाल ब्राम्हण,, जमनालाल पिता बदरीलाल जी लुहार, के साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये जिनसे अधिवक्ता वादीगण द्वारा दिनांक 15.05.2007 व 30.08.2007 को दीपक कुमार से जिरह करते हुए उनके बयानों को कलम बद्ध कराये गये। पत्रावली में साक्ष्य वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पूर्ण होने के पश्चात उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक प्रकरण में सुना गया।

अधिवक्ता वादीगण द्वारा वादपत्र के अनुसार बहस करते हुए पंजीकृत विकयनामा के आधार पर भूमि को खाते दर्ज किये जाने का निवेदन करते हुए कहा है कि ग्राम बेगूँ व ग्राम लक्ष्मीगंज की भूमि वादीगण द्वारा कय की गई थी, ग्राम बेगूँ की नवीन आराजी संख्या 1514 तो हमारे खाते लग गई है लेकिन उसमें हमारी जाति गलती से कुम्हार की बजाय कुमावत लिख दी गई जिसे दुरूस्त किये जाने की घोषणा हम वादीगण करवाना चाहते है साथ ही ग्राम लक्ष्मीगंज की गत आराजी संख्या 17/1 के बजाय 17/9 लिख दिया जिसके नवीन आराजी संख्या 37 बने है जो पंजीकृत दस्तावेज में त्रुटी के कारण हमारे खाते नहीं लग पाई है जबकि ग्राम लक्ष्मीगंज में गत आराजी संख्या 17/9 है ही नहीं है, अतः ग्राम लक्ष्मीगंज की नवीन आराजी संख्या 37 रकबा 0.45 से बंशीलाल ,श्यामलाल पिता काशीराम का नाम हटाया जाकर हमारे नाम पंजीकृत विकय के आधार पर घोषित फरमाई जावें क्यो कि वक्त खरीद से ही जमीन पर हमारा कब्जा है। वादीगण का वादपत्र स्वीकार फरमाया जावें।

बहस में अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब अनुसार ही वहस को निवेदन किया है, हमारे द्वारा उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुने जाने के उपरान्त पत्रावली मे प्रस्तुत सभी दस्तावेज का अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर पत्रावली में कायम तनकी पत्र अनुसार निर्णय निम्न प्रकार से किया जाता है :-

1- <u>तनकी नं0 1 का निर्णय</u> :-

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण का है, वादीगण का कथन है कि मौजा वेगॅ की आराजी संख्या 1514 जो वादीगण के नाम पर खाते में दर्ज है, उसमें वादीगण की जाति कुम्हार के वजाय कुमावत दर्ज कर दी गई है , जिसे वह सही करवाना चाहते है, वादपत्र के अवलोकन से यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि वादीगण के खाते में वर्तमान आराजी मौजा वेगूँ की आराजी संख्या 1514 कैसे आई है, जैसा कि वादीगण ने अपने वादपत्र में अंकित किया है कि उनके द्वारा भूमि श्री वंशीलाल श्यामलाल पिता काशीराम ब्राम्हण से कय की गई है, इस कथन की पुष्टि के लिए वादीगण द्वारा दावा पत्रावली में पंजीकृत विकय पत्र जो कि प्रदर्श-1 है मूल को प्रस्तुत किया है। जिसका अवलाकन किये जाने पर पाया जाता है कि वैचाननामा विकेता वंशीलाल व श्यामलाल की ओर से श्री जमनालाल श्री रामचन्द्र पिता नारायण लाल जी जाति कुम्हार के नाम पर लिखा गया है जिसमें विकेता वंशीलाल व श्यामलाल के खाते की भूमि कस्वा बेगूँ की गत आराजी नं0 1159/1 रकवा 1 वीघा 3 विस्वा व मौजा लक्ष्मीगंज की आराजी नम्बर 17/9 रकबा 1 वीघा 05 विस्वा भूमि का विकय 2500/- में केता यानि वादीगण को किया जाने का अंकन पंजीकृत विकय पत्र में है, यानि यह बात सत्य है कि भूमि वादीगण द्वारा कय की गई है। जैसा कि पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमावंदी मौजा वेगूँ की सं0 2051 से 54 जो कि प्रदर्श-8 है का अवलोकन करने पर पाया कि मौजा वेगूँ के आराजी संख्या 1514 रकवा 0.227 हैक्टर भूमि के खातेदार श्री जमनालाल रामचन्द्र पिता नारायणलाल कुम्हार सा0देह खातेदार अंकित है किन्तु नकल जमावंदी सं0 2055 से 58 में आराजी संख्या 1514 रकवा 0.227 यानि 1 वीघा 08 विस्वा भूमि के खातेदार श्री जमनालाल रामचन्द्र पिता नारायणलाल कुमावत सा0देह खातेदार दर्ज अंकित किया है यानि इस सम्वत की जमावंदी में वादीगण की जाति को कुम्हार के बजाय कुमावत कर दिया गया है, जो पूर्व के दस्तावेज के अनुसार दुरूस्त करा पाने के वादीगण अधिकारी पाये जाते है। वादीगण द्वारा मौजा बेगूँ की आराजी जिसके गत आराजी नं0 1159/1 थे जो कय की गई इस गत आराजी के नवीन आराजी संख्या 1514 बने हो यह रिकोर्ड वादीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया है, लेकिन दस्तावेज नकल जमावंदी के अवलोकन से वादीगण अपनी जाति कुम्हार सही करा पाने के अधिकारी है। इस प्रकार तनकी नं0 1 दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

2- <u>तनकी नं0 2 का निर्णय</u> ::-

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार भी वादीगण का है, वादीगण का कथन है कि मौजा लक्ष्मीगंज की गत भू-प्रबन्ध की आराजी नं0 17/1 के नवीन आराजी नं0 37 होकर वादीगण के कब्जे काश्त में है परन्तु विकेता बंशीलाल श्यामलाल लाड ने सहवन से 17/1 के बजाय 17/9 की रजिस्ट्री करादी जिसे सही कराने चव भूमि अभी विकेता बंशीलाल श्यामलाल लाड के नाम पर दर्ज है उसे उनके खातेदार से कम करा वादीगण अपना नाम कराना चाहते है। जैसा कि तनकी नं0 1 अंकित किया है कि वादीगण द्वारा बंशीलाल व श्यामलाल से मौजा बेगूँ व मौजा लक्ष्मीगंज की आराजी को 2500/-रूपये में कय किया है, जो कि प्रदर्श-1 के अवलोकन से पाया गया है, पंजीकृत विकय विलेख में दस्तवेज अर्जीनवीस द्वारा मौजा लक्ष्मीगंज की आराजी नं0 17/9 रकबा 1बीघा 5 बिस्वा अंकित किया है जबकि भू-प्रबंध (सेटलमेन्ट) विभाग की नकल प्रदर्श-6 के अवलाकन से पाया कि मौजा लक्ष्मीगंज के गत आराजी संख्या 17/1 नवीन आराजी नं0 37 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा बने है, जो वर्तमान में प्रदर्श-3 नकल जमाबंदी मौजा लक्ष्मीगंज के अनुसार श्री बंशीलाल श्यामलाल पिता काशीराम ब्राम्हण के नाम पर एवं प्रदर्श-4 नकल खसरा गिरदावरी में भी बंशीलाल श्यामलाल के नाम पर दर्ज है। प्रदर्श-5 मिलान भू-प्रबंध सेटलमेन्ट में 17/9 या 17/9 नम्बर का अंकन ही नहीं है, यानि मौजा

लक्ष्मीगंज के गत आराजी नं0 17/1 के ही खातेदार विक्रेता थे जो उन्होने वादीगण को विक्रय की है, दस्तावेज लिखने वाले गवाह देवीलाल पिता भगवानलाल पंचोली द्वारा अपने बयानो में भी स्पष्ट किया है कि यह दस्तावेज मैने ही लिखा है, आराजी नम्बर मैने खाते को देखकर नही लिखे है, इस प्रकार बिना खाते को देखकर विक्रय पत्र जो कि सन 1973 में लिखा गया है उसमें बोलने में सदभावी भूलवश 17/1 की बजाय 17/9 अंकित कर दिया गया है, जैसा कि भूमि का नवीन आराजी नम्बर 37 होकर भूमि आज भी विक्रेता बंशीलाल व श्यामलाल के खाते में ही दर्ज चली आ रही है जबकि दोनो की ही मृत्यु हो चुकी है , भूमि उनके वारिसान के नाम पर नहीं लगी है यानि भूमि पर कब्जा प्रतिवादीगण का न होने व पंजीकृत विक्रय होने से भूमि पर कब्जा वादीगण का ही है, ऐसी स्थिति में इस सदभावी भूल है, वादीगण की ओर से प्रस्तुत बयान एवं प्रतिवादीगण के द्वारा कराये गये बयानो से ही यह तथ्य स्पष्ट है कि यह आराजी संख्या 17/1 जिसके नये आराजी नम्बर 37 बने है की भूमि वादीगण द्वारा ही क्रय गई भूमि है। इस प्रकार वादीगण मौजा लक्ष्मीगंज की आराजी संख्या 37 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा भूमि को अपने नाम खाते में दर्ज करा पाने एवं मृतक खातेदार बंशीलाल व श्यामलाल पिता काशीराम ब्राम्हण सा. बेगूँ का नाम हटा पाने के अधिकारी पाये जाते है। तनकी नं0 2 बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

3– तनकी नं0 3 का निर्णय ::–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादीगण का है । प्रतिवादीगण का कथन है कि श्री बंशीलाल श्यामलाल लाड द्वारा आराजी नं0 17/9 मौजा लक्ष्मीगंज का बेचान किया गया न कि आराजी सं0 17/1 का जिससे वादी मौजा लक्ष्मीगंज की आराजी संख्या 37 को अपने पक्ष में घोषित कराने का अधिकारी नहीं है, प्रतिवादीगण द्वारा इस तनकी को सिद्ध कराने के लिए ऐसा कोई ठोस दस्तावेज यथा नकल जमाबंदी प्रस्तुत नहीं की है जो कि यह सिद्ध कर सके कि मौजा लक्ष्मीगंज की गत आराजी संख्या 17/9 ही बंशीलाल श्यामलाल लाड के खाते की भूमि थी जिसका की बेचान उनके द्वारा वादीगण को किया गया है, जैसा कि तनकी नं0 2 के निर्णय मे हमने स्पष्ट अंकित किया है कि विक्रयपत्र लिखते समय दस्तावेज अर्जीनवीस द्वारा सद्भावी भूलवश 17/9 दस्तावेज में लिखा गया है, जबकि मिलान खसरा प्रदर्श– 3 के अनुसार मौजा लक्ष्मीगंज की गत आराजी संख्या 17/1 जिसके नवीन नं0 37 बने है वह बंशीलाल श्यामलाल पिता कशीराम के नाम पर दर्ज है। यहाँ उल्लेखनीय है कि मौजा लक्ष्मीगंज की वर्तमान में आराजी संख्या 37 जो कि बंशीलाल व श्यामलाल जी के खाते में आज भी लगी हुई है जिनका निधन हुए काफी समय हो चुका है जबकि प्रतिवादीगण उनके वारिसान है, तो प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि को अपने खाते कराये जाने की कार्यवाही क्यों नहीं की गई है, यदि यह भूमि प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त व खातेदार की भूमि थी तो प्रतिवादीगण द्वारा इस वादपत्र में अपना प्रतिवाद पत्र भूमि अपने नाम दर्ज कराने हेतु प्रस्तुत करना था जो उनके द्वारा नहीं किया गया है। इस प्रकार दस्तावेजी साक्ष्य सबूत व बयानो के आधार पर प्रतिवादीगण इस तनकी को अपने पक्ष में सिद्ध करा पाने में असफल रहे है। अतः तनकी नं0 3 बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती हैं।

4– तनकी नं0 4 का निर्णय ::–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार भी प्रतिवादीगण का है, प्रतिवादीगण का कथन है कि आराजी संख्या 1514 रकबा 0.227 हैक्टर में उनके नाम के आगे कुमावत जारी की शुद्धी कराने के पश्चात ही वादीगण अपना दावा प्रस्तुत कर सकते है,इसकी आड में मौजा लक्ष्मीगंज की आराजी को घोषित कराना चाहते है, नियम विपरीत होनें से वाद खारिज योग्य है, इस सम्बन्ध में तनकी नं0 1 के निर्णय में न्यायालय द्वारा उल्लेख किया है कि नकल जमाबंदी मौजा बेगूँ की सं0 2051 से 54 जो कि प्रदर्श–8 है का अवलोकन करने पर पाया कि मौजा बेगूँ के आराजी संख्या 1514 रकबा 0.227 हैक्टर भूमि के खातेदार श्री जमनालाल रामचन्द्र पिता नारायणलाल कुम्हार सा0देह खातेदार अंकित है किन्तु नकल जमाबंदी सं0 2055 से 58 में आराजी संख्या 1514 रकबा 0.227 यानि 1 बीघा 08 विस्वा भूमि के खातेदार श्री जमनालाल रामचन्द्र पिता नारायणलाल कुमावत सा0देह खातेदार दर्ज कर दिया गया है, यहाँ स्पष्ट है कि वादीगण की जाती पूर्व में सम्वत 2051 से 54 की जमाबंदी में कुम्हार दर्ज थी लेकिन बाद में सं0 2055 से 58 में कुमावत दर्ज कर दी गई है, इस प्रकार पूर्व के दस्तावेज की प्रविष्टी जो सही थी उसके आधार वर्तमान में वादीगण की जाती का सही अंकन कराया जाना इन्द्राज दुरूस्ती में आता है, जिसका अधिकार दस्तावेजी साक्ष्य से वादीगण को है, प्रतिवादीगण का कथन है कि पहले वादीगण अपनी जाती को सही कराते वाद में वाद घोषणा का लाना चाहिए , इस सम्बन्ध में दस्तावेजी साक्ष्य अनुसार प्रदर्श–1 पंजीकृत विक्रय विलेख जिसमें मौजा बेगूँ की आराजी व मौजा लक्ष्मीगंज की आराजी को एक पंजीकृत विक्रय विलेख से क्रय किया गया है, जिसमें एक आराजी का नाम वादीगण के खाते अंकित हो गया है किन्तु मौजा लक्ष्मीगंज की आराजी में उनका नाम राजस्व रिकोर्ड में अंकित नहीं हुआ है जिसे पंजीकृत विक्रय विलेख के आधार पर अपने नाम घोषित कराने का वाद पत्र लाने का अधिकार वादीगण को प्राप्त है। इस प्रकार तनकी नं0 4 प्रतिवादीगण अपने पक्ष में सिद्ध करा पाने में पूर्णतया असफल रहे है। अतः तनकी नं0 4 बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

5– तनकी नं0 5 का निर्णय ::–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार भी प्रतिवादीगण का है, प्रतिवादी का कथन है कि मौजा लक्ष्मीगंज की आराजी सं0 37 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा भूमि पर हम प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में होने व कयसुदा आराजी 17/9 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा कोई अन्य आराजी होरक जिसकी आड में वादी हमारी गत आराजी सं0 17/1 जिसका रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा है को हडपना चाहते

है जिसका की वादीगण को कोई अधिकार नहीं है। इस तनकी को सिद्ध कराने के समर्थन में प्रतिवादीगण को मौजा लक्ष्मीगंज की आराजी संख्या 17/9 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि किसके खाते की भूमि है के सम्बन्ध में नकल जमाबंदी प्रस्तुत करना चाहिए था, क्यो आराजी संख्या 17/9 गत अराजी मौजा लक्ष्मीगंज की थी तो उसके वर्तमान मे नवीन आराजी नम्बर क्या बने उसके लिए भी भू-प्रबन्ध (सेटलमेन्ट) का मिलान खसरा प्रस्तुत करना चाहिए था, वादीगण अपने वादपत्र मे यह कहते हुए आये है कि पंजीकृत विक्रय विलेख में 17/9 लिखा हुआ 17/9 जो कि सहवन से 17/1 के बजाय लिखा गया है, इस सम्बन्ध में दस्तावेज लेखन अर्जीनवीस श्री देवीलाल के बयान भी पत्रावली में कराये गये है, जो मिलान खसरा प्रदर्श-5 वादीगण ने प्रस्तुत किया है उसमें गत आराजी का अंकन 17मी./1, 17मी., 18मी. व 19मी. का अंकन है, जो कि मौजा लक्ष्मीगंज के गत आराजी नम्बर है , 17/9 का अंकन नहीं है। आराजी संख्या 17/9 गत आराजी किसके खाते की आराजी थी , उस खातेदार द्वारा गत आराजी सख्या 17/9 का विक्रय किया गया था या नहीं इन सभी के सम्बन्ध में अपनी तनकी को सिद्ध कराने हेतु प्रतिवादीगण को ठोस दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए थे, जो कि उनके द्वारा नहीं किये गये है। जहॉ तक नवीन आराजी संख्या 37 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा पर कब्जे का प्रश्न है, वादीगण ने भी अपनी साक्ष्य में व गवाह की साक्ष्य में भूमि खरीद से ही कब्जा होना अंकित किया है, जबकि प्रतिवादीगण भी अपने बयानों में कब्जे की बात कहते है, लेकिन इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेज नहीं है, जबकि वादीगण द्वारा पंजीकृत विक्रय विलेख जो कि प्रदर्श-1 , नकल खसरा गिरदावरी प्रदर्श- 4 नकल जमाबंदी प्रदर्श-5 प्रस्तुत किये है, जिसमें श्री बंशीलाल श्यामलाल पिता काशीराम ब्राम्हण का ही नाम खातेदार के रूप चला आ रहा है, जिसे वादीगण अपने नाम पंजीकृत विक्रय के आधार पर घोषित कराना चाहते है, यदि प्रतिवादीगण का कब्जा उक्त भूमि रहा है तो उनके द्वारा अब तक अपना नाम इस खाते में दर्ज कराये जाने की कार्यवाही क्यो नहीं की गई है, और यदि उनके द्वारा भूमि का लगान खातेदार बंशीलाल, श्यामलाल की मृत्यु पश्चात जमा करते रहे हो तो उसकी रसीद आदि भी इस दावे में अपने ज़वाब की पुष्टी हेतु प्रस्तुत करना चाहिए था जो कि प्रतिवादीगण द्वारा नहीं की गई है। जैसा कि तनकी नं0 1 से 4 के निर्णय में इस तथ्य को उल्लेखित किया है कि खातेदार श्री बंशीलाल श्यामलाल लाड ब्राम्हण द्वारा अपने खाते की आराजी मौजा बेगूँ की गत आराजी संख्या 1159/1 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा व मौजा लक्ष्मीगंज की आराजी संख्या 17/1 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा का विक्रय जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख के द्वारा वादीगण को किया है जिसमें से बेगूँ की क्रयशुदा आराजी तो वादीगण के खाते में अंकित कर दी गई है लेकिन विक्रय पत्र में आराजी का अंक़न सहवन से त्रुटीपूर्ण हो जाने से वह आराजी उनके खाते नहीं लगी है जिसे वह अपने खाते करवाना चाहते है। वादीगण के कथन को न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर सही माना है। इस प्रकार प्रतिवादीगण द्वारा इस तनकी को सिद्ध करा पाने में कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जाने से यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादीगण बहक वादीगण निणित की जाती हैं।

इस प्रकार पत्रावली में कायम की गई तनकी संख्या 1 से 5 तक दस्तावेज के अवलोकन के अनुसार वादीगण के पक्ष में सिद्ध होती है, जबकि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत अपने जवाब दावे को सिद्ध कराने हेतु कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जाने से उनके पक्ष की तनकी भी सिद्ध नहीं होती है। इस प्रकार दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। मौजा बेगूँ पटवार हल्का बेगूँ की आराजी संख्या 1514 रकबा 0.220 हैक्टर भूमि मे वादीगण श्री जमनालाल मृतक के वारिसान कैलाशचन्द्र, नन्दकिशोर पिता जमनालाल व, राजू मृतके बजाय, श्रीमति बृजबाला पत्नि राजू कुम्हार एवं श्रीमति बसन्तीबाई पत्नि स्व. जमनालाल कुम्हार व रामचन्द्र पिता नारायणलाल की जाती कुमावत लिखी गई है उसको दुरूस्त की जाकर वादीगण की जाती कुमावत की बजाय कुम्हार अंकित किये जाने की घोषणा की जाती है, साथ ही मौजा लक्ष्मीगंज पटवार हल्का दौलतपुरा की आराजी संख्या 37 रकबा 0.45 हैक्टर भूमि मे से खातेदार श्री बंशीलाल ,श्यामलाल पिता काशीराम ब्राम्हण सा.बेगूँ का नाम हटाया जाकर वादीगण का नाम राजस्व अंकित किये जाने की घोषणा की जाती है। निर्णय की डिक्री जारी की जाकर पालनार्थ तहसीलदार बेगूँ को दी जावें।

निर्णय आज दिनांक 07.08.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलेक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

मूलवाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश

दावा संख्या 66 / 2004

1. जमनालाल पिता नाराण जी कुम्हार निवासी बेगूँ तहसील बेगूँ मृतक के बजाय विधिक वारिसान :–
   1/1– कैलाशचन्द्र पिता स्व. जमनालाल जी कुम्हार निवासी बेगूँ तहसील बेगूँ
   1/2– नन्दकिशोर पिता स्व. जमनालाल जी कुम्हार निवासी बेगूँ तहसील बेगूँ
   1/3– राजू पिता स्व. जमनालाल जी कुम्हार मृतक के बजाय विधिक वारिसान
   1/3/1– श्रीमति बृजबाला पत्नि राजू जी कुम्हार निवासी बेगूँ तहसील बेगूँ
   1/4– श्रीमति बसन्तीबाई पत्नि पिता स्व. जमनालाल जी कुम्हार निवासी बेगूँ तहसील बेगूँ
2. रामचन्द्र पिता नाराण जी कुम्हार निवासी बेगूँ तहसील बेगूँ

वादीगण

बनाम

1. सुशीला देवी पिता बंशीलाल जी लाउ (ब्राम्हण) पति मणिशंकर जी ब्राम्हण निवासी भीलवाडा गुलमण्डी होस्पीटल के पास गुर्जर मोहल्ला भीलवाडा
2. सुमीत्रादेवी पिता बंशीलाल जी लाड (ब्राम्हण) पति शंभुलाल जी शर्मा निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
3. विजयकुमार पिता श्यामलाल जी लाड ब्रामहण निवासी बेगूँ तहसील बेगूँ
4. लीलादेवी पिता श्यामलाल जी लाड पति कन्हैयॉलाल जी ब्राम्हण निवासी बरजर तहसील पोबट जिला झाबुआ म0प्र0 मृतक के बजाय विधिक वारिसान :–
   4/1– राजकुमार माता स्व. लीलादेवी पिता कन्हैयालाल जी शर्मा निवासी बरजर तहसील पोबट जिला झाबुआ (म.प्र.)
   4/2– रेखादेवी माता स्व. लीलादेवी पिता कन्हैयॉलाल जी शर्मा हालमुकाम पति सुरेश जी शर्मा निवासी बनेडा तहसील व जिला भीलवाडा
   4/3– योगेश माता स्व. लीला देवी पिता कन्हैयॉलाल जी शर्मा निवासी बरजर तहसील पोबट जिला झाबुआ (म.प्र.)
   4/4– संजय कुमार माता स्व. लीला देवी पिता कन्हैयूलाल जी शर्मा निवासी बरजर तहसील पोबट जिला झाबुआ (म.प्र.)
5. श्रीमती धापूबाई पिता श्यामलाल जी लाड पति उमाशंकर जी निवासी बेगूँ हथाई मोहल्ला बेगूँ तहसील बेगूँ
6. श्रीमति दीपकुमारी पिता श्यामलाल जी लाड ब्राम्हण अध्यापिका पति लादूलाल काटिया निवासी बेगूँ तहसील बेगूँ
7. श्रीमति मनोजकुमारी पिता श्यामलाल जी लाड पति बनवारीलाल ब्राम्हण हायर सेकण्डरी स्कूल के सामने वाली गली नई आबादी मण्डलगढ जिला भीलवाडा
8. कमलादेवी पत्नि गोपाल लाल लाड अध्यापिका निवासी बेगूँ तहसील बेगूँ
9. दीपक कुमार पिता गोपाल लाल लाड निवासी बेगूँ तहसील बेगूँ
10. गोतम उर्फ गोविन्द पिता गोपाललाल जी लाड निवासी बेगूँ
11. प्रितीवाला पिता गोपाल जी लाड पति सूर्यप्रकाश जी ब्राम्हण निवासी लोडामूह तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
12. नवीनवाला पिता गोपाल लाल जी लाड पति विष्णुकुमार जी चतुर्वेदी निवासी धनोरा तहसील बेगूँ
13. श्रीमान तहसीलदार साहव वेगूँ जरिये लैण्ड होल्डर बेगूँ

प्रतिवादीगण

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण माली की उपस्थिति में तथा प्रतिवादी अधिवक्ता श्री विष्ण कुमार चतुर्वेदी की उपस्थिती में वाद अ.धा .88 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक

07.08.2024को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से वादीगण का वादपत्र सिद्ध होने से स्वीकार किया जाता है तथा निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाने का आदेश दिया जाता है:–

अतः वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। मौजा बेगूँ पटवार हल्का बेगूँ की आराजी संख्या 1514 रकबा 0.220 हैक्टर भूमि मे वादीगण श्री जमनालाल मृतक के वारिसान कैलाशचन्द्र, नन्दकिशोर पिता जमनालाल व, राजू मृतक के बजाय, श्रीमति बृजबाला पत्नि राजू कुम्हार एवं श्रीमति बसन्तीबाई पत्नि स्व. जमनालाल कुम्हार व रामचन्द्र पिता नारायणलाल की जाती कुमावत लिखी गई है उसको दुरूस्त की जाकर वादीगण की जाती कुमावत की बजाय कुम्हार अंकित किये जाने की घोषणा की जाती है, साथ ही मौजा लक्ष्मीगंज पटवार हल्का दौलतपुरा की आराजी संख्या 37 रकबा 0.45 हैक्टर भूमि मे से खातेदार श्री बंशीलाल, श्यामलाल पिता काशीराम ब्राम्हण सा.बेगूँ का नाम हटाया जाकर वादीगण का नाम राजस्व अंकित किये जाने की घोषणा की जाती है। निर्णय की डिक्री जारी की जाकर पालनार्थ तहसीलदार बेगूँ को दी जावें।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 07.08.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलेक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक / सरिश्ता / 2024 / 416
दिनांक :– 14-8-2024

दावा संख्या 66 / 2004 व अनवान जमनालाल बनाम श्रीमति सरस्वती बाई अ.धा. 88 आर.टी.एक्ट में जारी अंतिम डिक्री की प्रति तहसीलदार बेगूँ को पालनार्थ दी जाती है।

सहायक कलेक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़